महत्वपूर्ण / समयबद्ध / फैक्स
संख्या :–278 / 1–11–2014 26(जी) / 2014

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनॉक : 19 अगस्त, 2014

विषय : वर्ष 2014 में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के फलस्वरूप जनपदों में हुई क्षति का विवरण प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड एवं पड़ोसी देश नेपाल में हुई भारी बारिश के फलस्वरूप बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में अचानक गम्भीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। प्रभावित जनपदों से प्राप्त हो रही सूचनाओं के अनुसार बाढ़ से व्यापक क्षति हुई है। बाढ़ के दौरान जनहानि, पशुहानि के साथ–साथ लोगो के मकान (कच्चे, पक्के) आदि आंशिक या पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुये है एवं किसानों द्वारा बोयी गयी फसलों को भी व्यापक क्षति पहुची है। इसी प्रकार जनपदों में आयी अचानक बाढ़ (Flash Flood) के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों यथा–सड़कों, पुलों, स्कूलों, ग्राम पंचायतों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सिंचाई विभाग की संरचनाओं को भी व्यापक क्षति हुई है।

2– इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार (आपदा प्रबंधन प्रभार), नई दिल्ली के पत्र संख्या–32–3 / 2013–एनडीएम–I, दिनांक 28.11.2013 द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि एवं राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु विभिन्न प्रकार की मानक मदों एवं उनके मानक दरों का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार के उक्त दिशा–निर्देश में बाढ़ के दौरान मृतकों, घायलों को अहैतुक सहायता, खोच बचाव एवं राहत कार्य के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों की सफाई, कृषि निवेश अनुदान, पशुपालन, मत्स्य पालन, क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत / पुर्ननिर्माण हेतु सहायता के अलावा निर्दिष्ट सेक्टर में बुनियॉदी ढॉचा / अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति का मरम्मत / पुर्ननिर्माण किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– अतः अनुरोध है कि प्रदेश में आयी भीषण बाढ़ से हुई क्षति का सर्वेक्षण / आंकलन कराकर जनपद में हुई क्षति का विवरण (भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों में) प्रत्येक दशा में 15 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रदेश में हुई अत्यधिक क्षति के सापेक्ष अतिरिक्त सहायता के लिये बाढ़ मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया जा सकें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

183 GO-R-11-r